


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122025-268854
CG-DL-E-27122025-268854

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5771]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2025/पौष 2, 1947

No. 5771]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2025/PAUSHA 2, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5970(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2902(अ), तारीख 7 सितम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 में, -

- (क) उप-पैरा (1) में, सारणी 3.4 में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "31 दिसंबर, 2025" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "30 जून, 2026" रखे जाएंगे, और
- (ख) उप-पैरा (1) में, सारणी 3.4 के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"सारणी 3.5**स्टार रेटिंग योजना की विधिमान्यता (1 जुलाई, 2026 से 31 दिसंबर, 2027 तक)**

रेटिंग क्षमता	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार
	स्थायी नुकसान (किलोवाट घंटा/24 घंटे/45°C)				
6 एल	≤0.352 और > 0.320	≤0.320 और >0.291	≤ 0.291 और >0.265	≤0.265 और >0.241	≤0.241
10 एल	≤0.441 और > 0.401	≤0.401 और >0.365	≤0.365 और >0.332	≤0.332 और >0.302	≤0.302
15 एल	≤0.507 और > 0.461	≤0.461 और > 0.419	≤0.419 और >0.381	≤0.381 और >0.346	≤0.346
25 एल	≤0.618 और > 0.562	≤0.562 और >0.511	≤0.511 और >0.465	≤0.465 और >0.423	≤0.423
35 एल	≤0.706 और > 0.642	≤0.642 और >0.584	≤0.584 और >0.531	≤0.531 और >0.483	≤0.483
50 एल	≤0.816 और > 0.742	≤0.742 और >0.675	≤0.675 और >0.614	≤0.614 और >0.558	≤0.558
70 एल	≤0.926 और > 0.842	≤0.842 और > 0.766	≤0.766 और >0.697	≤0.697 और >0.634	≤0.634
100 एल	≤1.058 और > 0.962	≤0.962 और > 0.875	≤0.875 और >0.796	≤0.796 और >0.724	≤0.724
140 एल	≤1.191 और > 1.083	≤1.083 और > 0.985	≤0.985 और >0.896	≤0.896 और >0.815	≤0.815
200 एल	≤1.323 और > 1.203	≤1.203 और > 1.088	≤1.088 और >0.984	≤0.984 और >0.890	≤0.890

[फा. सं. 10/7/2022-ईसी]

धीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता

टिप्पण: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन उक्त अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक. का.आ. 2902(अ), तारीख 7 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5776(अ) तारीख 9 दिसंबर, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2025

S.O. 5970(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in Ministry of Power number S.O 2902(E) dated the 7th September, 2016, namely:-

In the said notification, in paragraph 3,—

- a) in sub-paragraph (1), in the Table 3.4, for the words, figures and letters “31st December, 2025”, the words, figures and letters “30th June, 2026” shall be substituted, and
- (b) in sub-paragraph (1), after Table 3.4, the following Table shall be inserted, namely: -

“TABLE 3.5

Star Rating Plan Validity (from 1st July, 2026 to 31st December,2027)

Rated Capacity	1 star	2 star	3 star	4 star	5 star
	Standing Losses (kWh/24 hour/45°C)				
6 L	≤ 0.352 & > 0.320	≤ 0.320 & > 0.291	≤ 0.291 & > 0.265	≤ 0.265 & > 0.241	≤ 0.241
10 L	≤ 0.441 & > 0.401	≤ 0.401 & > 0.365	≤ 0.365 & > 0.332	≤ 0.332 & > 0.302	≤ 0.302
15 L	≤ 0.507 & > 0.461	≤ 0.461 & > 0.419	≤ 0.419 & > 0.381	≤ 0.381 & > 0.346	≤ 0.346
25 L	≤ 0.618 & > 0.562	≤ 0.562 & > 0.511	≤ 0.511 & > 0.465	≤ 0.465 & > 0.423	≤ 0.423
35 L	≤ 0.706 & > 0.642	≤ 0.642 & > 0.584	≤ 0.584 & > 0.531	≤ 0.531 & > 0.483	≤ 0.483
50 L	≤ 0.816 & > 0.742	≤ 0.742 & > 0.675	≤ 0.675 & > 0.614	≤ 0.614 & > 0.558	≤ 0.558
70 L	≤ 0.926 & > 0.842	≤ 0.842 & > 0.766	≤ 0.766 & > 0.697	≤ 0.697 & > 0.634	≤ 0.634
100 L	≤ 1.058 & > 0.962	≤ 0.962 & > 0.875	≤ 0.875 & > 0.796	≤ 0.796 & > 0.724	≤ 0.724
140 L	≤ 1.191 & > 1.083	≤ 1.083 & > 0.985	≤ 0.985 & > 0.896	≤ 0.896 & > 0.815	≤ 0.815
200 L	≤ 1.323 & > 1.203	≤ 1.203 & > 1.088	≤ 1.088 & > 0.984	≤ 0.984 & > 0.890	≤ 0.890

[F. No. 10/7/2022-EC]

DHIRAJ KUMAR SRIVASTAVA, Chief Engineer

Note. - The said notification under the Energy Conservation Act, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) *vide* notification number S.O. 2902(E), dated the 7th September, 2016 and lastly amended *vide* notification number S.O. 5776(E) dated the 9th December 2022.